रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-956/2017/2681/22-2-2017-17(137)/2007

लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी गंगाराम (बन्दी संख्या-42147) पुत्र श्री रेवाराम, निवासी सहजना, थाना-मीरगंज, जनपद-बरेली,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-576/1978** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34** के अधीन **दिनांक 10.11.1979** को **मा0 सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली** द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.1997 द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.10.2005 द्वारा, मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, बरेली** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-956/2017/2681(1)/22-2-2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in